


:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती बीना, वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, कोटा के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ0 1(3)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों पूर्ण कर अपना नाम श्रीमती बीना मिश्रा किया है।

श्रीमती बीना, वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, कोटा के राजकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती बीना के स्थान पर श्रीमती बीना मिश्रा अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती बीना, वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, कोटा से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम श्रीमती बीना मिश्रा सम्बोधित/जारी किये जावें।


(नथमल डिडेल)

आई0ए0एस0
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/ए-2-5-7/नाम उपनाम संशोधन/2017/

दिनांक : 10/9/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, कोटा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कोटा
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), कोटा
4. श्रीमती बीना मिश्रा, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), कोटा
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग।
7. प्रभाग-बी
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर